



155

न्यायालय श्रीमान महोदय जिला सीहोर म. प्र.

R. 1967-1968

वरकतशाह आयु लगभग 70 वर्ष आ. श्री हुसेनशाह जाति मुसलमान

निवासी ग्राम रेहटी कृषक ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेहटी जिला

सीहोर म. प्र. ----- आवेदक / निगरानी कर्ता

विरुद्ध

जाकिशाह आयु लगभग 3 वर्ष आ. श्री कुदरतशाह जाति मुसलमान

निवासी ग्राम रमपुरा चकल्दी तहसील रेहटी जिला सीहोर --- उत्तराता

आवेदन अर्जगत धारा 52 एवं सहपटित धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता

आवेदक की ओर से निम्न विवेदन है कि :-

1. यहकि आवेदक द्वारामाननीय आधिनस्थ्य न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय रेहटी के सीमांकन प्रकरण कृमांक 2/अ12/11-12 सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 19/11/11 के विरुद्ध एक निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमें उसे सफल होने की पूर्ण आशा है।

2. यहकि माननीय आधिनस्थ्य न्यायालय ने उक्त सीमांकन प्रकरण में संहिता के वंधनकारी प्रावधानों की घौर अनदेखी करते हुए उक्त सीमांकन प्रकरण तैयार कर सीमांकन दिनांक 19/11/11 की पुष्टि की है जो प्रकरण में प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है विषेशतः सीमांकन के सूचनापत्र प्रथम दृष्टया ही अवलोकनीय है जिसमें आवेदक वरकतसाह के नाम के आगे किसी और के हस्ताक्षर कराये गये हैं यानि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं दी गयी।

3. यहकि सूचनापत्र किस कार्यालय से जारी किये गये औंश कव जारी किये गये और किसके द्वारा तामील करायी गई न तो कोई टीप अंकित है और न ही तामीली कर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही नाम है यह भी अंकित नहीं है कि सूचनापत्र किस दिनांक को तामील कराये गये हैं इस प्रकार की कार्यवाही विधि में मान्य नहीं है।

[Signature]

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुकूल आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.: 1966 त्रि. 1967/11/12 जिला सीटीर

स्थान तथा दिनांक	वरकूत शास्त्री विवर ① चौदशांत छे कार्यवाही तथा आदेश ② जोकिं उष्टुप्	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१५-३-१६	<p>यह निगरानी तहत के लियोकम् उक्तमान् २ छे ३।३।१२।२०११-१२ में पालिं ओडेश दिनों १९।१।१। के विकल्प उष्टुत की गई है।</p> <p>उक्त अंतर्वेदन शीघ्र भी बनेत्रु रिह छु अं इनां शीघ्र भी शुभात है। (प्र०। उम्माद शीघ्रवक्तव्यों द्वा उभिलेख के आधार पर मिश्रि त्वेकं का निवेदन किया गया।)</p> <p>उपराक्ष शीघ्रवक्तव्यों के नको के संदर्भ में निगरानी गेमो में शीकिर तच्चो का लियोकन किया गया। उभिलेकन करने पर यहा गया कि निगरानी लियोकन ओडेश दिनों १९।१।१। के विकल्प उष्टुत की गई है। निगरानी गेमो में संस्थाना लिहिं की धारा २५८ के उक्त में पाई गई है किन्तु २५८ अं कोस द्वा उक्त में किस ओडेश के लियोकने संस्थाना पाई गई है उपराक्ष नहीं है। इस उक्त उष्टुत निगरानी छे लाटी गई संस्थाना में उक्त रूपाना भी है जहाँ उष्टुत निगरानी लिहिं में निहिं उचित प्रक्रिया से लिपारित नियमों के उल्लंघन उष्टुत नहीं से विचार योग्य नहीं है।</p> <p>आर। उष्टुत निगरानी लिहिं उक्तमान् छे नियमों के उल्लंघन होने से विचार किसी</p>	

R. 1966/व' 1967/11/12

लाइन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश क्रमांक स्थान	प्रत्याक्षर क्रमांक स्थान	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तात्कालिक परिणाम के द्वारा प्रभास्त्र की जाती हुई यादि अधिक चैटहो व्यापक रूप में उष्टुप्ति में सिविल जिक्रिया का जागरूकता द्वारा अक्षिप्त अद्यता छं उबाहित हुए हैं। अभिवेदन के साथ -वार्षीय गढ़ी उदायग्रा के उपर्युक्त में उचल के द्वारा नियाजी छापियाँ जो नियाजी द्वारा उस्तुर की तरफ स्वीकृत हैं।	प्रत्याक्षर क्रमांक स्थान	
M	उस्तुर नियाजी नियाजी जिक्रिया के सम्पर्क प्रस्तुत होने से इसी द्वारा प्रभास्त्र की जाती है। यह आठ अंशीकारणी त्र० १९६६ वर्ष 1967/11/12 दिनों पर भाग्य होना पक्षकार घृवित हो । १५८ नंदिंष्ठ।	प्रत्याक्षर क्रमांक स्थान	